

न्यायालय, अपर समाहर्ता, धनबाद

जमाबंदी अपील सं०-55/2015-16

आवेदक- झारखण्ड सरकार एवं अन्य

बनाम

श्री प्रसाद हजारा एवं अन्य

झारखण्ड सरकार एवं अन्य द्वारा आवेदन दिया गया है। इस संबंध में कहना है कि उक्त वाद के निष्पादन हेतु अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत नहीं है। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि आवेदक जमाबंदी अपील हेतु सक्षम प्राधिकार के पास आवेदन करें।

तदनुसार उक्त अपीलवाद का निस्तार किया जाता है। इस आदेश की प्रतिलिपि आवेदक एवं प्रतिवादी को दें। साथ ही इसे ई-राजस्व न्यायालय के वेबसाईट पर भी अपलोड करें।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्ता,
धनबाद।

अपर समाहर्ता,
धनबाद।